2018/00164

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
## पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 25/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्री रामचरण पुत्र श्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी फतेहपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर (अभिभाषक अप्रार्थी)

## राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम फतहपुर तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 25 हाल खसरा नम्बर 56 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 169 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाव दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प0010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 169 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाव पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रस्तुत रेफरेन्स गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण अवैध रूप से अप्रार्थी को जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नही है एवं निरस्तनीय है । अप्रार्थी

को राजस्थान भू राजस्व ( कृषि हेतु भूमि आवंटन) एवं नियम 1970 के अन्तर्गत कोई भूमि आवंटित नही की गई है और न ही अप्रार्थी को आवंटित भूमि वर्जित क्षेत्र की है, इसलिये दिया गया नोटिस गलत तथ्यों पर आधाारित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है । अप्रार्थी को ख0 नं0 25 रकबा 52 बीधा 6 बिस्वा भूमि ग्राम फतेहपुर मे से कोई भूमि आवंटन नही की गई है और न ही उक्त भूमि के नये नम्बर अप्रार्थी को आवंटित भूमि के नम्बरों से मि के अन्तर्गत कोई भूमि आवंटित नही की गई है और न ही अप्रार्थी को आवंटित भूमि वर्जित क्षेत्र की है, इसलिये दिया गया नोटिा गलत तथ्यों पर आधाारित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है । अप्रार्थी को ख0 नं0 25 रकबा 52 बीधा 6 बिस्वा भूमि ग्राम फतेहपुर मे से कोई भूमि आवंटन नही की गई है और न ही उक्त भूमि के नये नम्बर अप्रार्थी को आवंटित भूमि के नम्बरों से मिलान ही करते है, इसलिये अप्रार्थी को उक्त नोटिस गलत आधारों पर जारी किया गया है जो निरस्तनीय है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बउनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार केस नं0 1536/03 मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004, अप्रार्थी पर आवंटनशुदा भूमि पर लागू नही होता है, क्योकि अप्रार्थी को चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री नियम 9 के अन्तर्गत ख0 नं0 56 की 0.54 है0 भूमि नहरी प्रथम कीमतन आवंटित दिनांक 14.06.89 से की गई है, जो कि नहरी प्रथम भूमि है तथा इस रेफरेन्स मे वर्णित भूमि से भिन्न भूमि है, ऐसी सूरत मे अप्रार्थी के हक मे किया गया आवंटन किसी श्री प्रकार से उक्त रेफरेन्स के आधार पर निरस्त नही किया जा सकता है । अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति है और उसके पास उक्त आराजी के अलावा परिवार के जीवन यापन हेतु अन्य कोई भूमि भी नही है और प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है और इस प्रकार से जारी किया गया नोटिस गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्तनीय है तथा अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप होने योग्य है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही रेफरेन्स ड्रोप किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 25 हाल खसरा नम्बर 56 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 169 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाव दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिवन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 169 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाव पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा